

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण।

पटना, दिनांक- 25/10/17

विषय:- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत "हर घर नल का जल" के कार्यान्वयन हेतु संशोधित NIT format एवं General Specifications का प्रेषण।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 7932, दिनांक- 27.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत "हर घर नल का जल" के कार्यान्वयन हेतु NIT format एवं General Specifications उपलब्ध कराया गया था। उक्त NIT format एवं General Specifications में कतिपय संशोधन किया गया है, जो एकरारनामा का एक हिस्सा होगा। संशोधित NIT format एवं General Specifications विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है, जिसके आलोक में ही निविदा की कार्रवाई की जायेगी।

अतः निदेश दिया जाता है कि संशोधित NIT format एवं General Specifications के आलोक में ही अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/1/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

25

बिहार सरकार

248

कार्यालय का नाम
नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत

निविदा आमंत्रण सूचना (ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc.bihar.gov.in)

संख्या E-Tender - /2016-17

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-25.01.2017
3. टेंडर कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक 10.02.2017 से 15.02.2017 के 15:00 बजे तक
(on website www.eproc.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : समय 11:00 बजे स्थान- कार्यालय कक्ष,
कार्यालय का नाम
दिनांक-
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक- 16.02.2017 के 15:00 बजे तक
(on website www.eproc.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय/स्थान : दिनांक- 07.02.2016 के 15:30 बजे के बाद
(on website www.eproc.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय/स्थान : तकनीकी बीड पर निर्णय के बाद
(on website www.eproc.bihar.gov.in)
8. अग्रधन, सभी शपथ-पत्र, Existing Commitment (मूल में), परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : दिनांक-27.01.2016 के 15:00 बजे तक

TO BE
CHANGED
ACCORDI-
NGLY

- स्थान-1. नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत
2. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण।
 3. अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना का कार्यालय

9. कार्य का विवरण:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग मोनसून अवधि माह में)
1 TO BE FILLED IN SUITABLY					

10. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
- "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking. NEFT/RTGS.
 - "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
13. दो करोड़ से उपर की राशि के निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से किया जायेगा।
14. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।
15. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Passoword) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्थ डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं०-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो० संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
16. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर) रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
17. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
18. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि:-
(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।
(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
19. **परिमाण विपत्र**
उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत के पदनाम से संबंधित जिले के बैंक में भुगतये हो, स्वीकार किया जायेगा। जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा करने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए।

(1) अग्रघन

- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रघन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।
- (ख) अग्रघन की राशि रिभाईज्ड पी0डब्लू0डी0 कोड के नियम 161 के अनुसार निम्न स्वरूप में दिया जाना अनिवार्य है।

(i) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का फिक्सड डिपोजिट प्रमाण-पत्र

(ii) 1/3/5 वर्षीय डाकघर की सावधि जमा

(iii) डाकघर सेविंग बैंक पासबुक

(iv) राज्य अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र

(v) पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बॉन्ड

(vi) राज्य विकास ऋण प्रमाण-पत्र

(vii) एक करोड़ से अधिक कार्य के लिए किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का, बैंक गारंटी

उपरोक्त सभी प्रतिभूति की वैधता अवधि, निविदा की अंतिम तिथि से 180 दिन की अवधि तक वैध होगा। साथ ही निविदा निकालने वाले पदाधिकारी के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रघन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसमें तिथि नाम के साथ एवं मोबाइल नम्बर अंकित हो।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एंव आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ङ) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(a) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिसे जिले का पता निबंधन में अंकित है।

(b) पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(c) जिसे संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

(d) जिस संवेदक की वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छः माह मानी जायेगी।

(3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में)।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(ङ) नल जल निश्चय योजना से संबंधित किसी भी निविदा राशि के कार्य के लिए संवेदक के पास रिभर्स रॉटरी रिग मशीन का होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

उक्त वांछित यंत्र संयंत्र का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत के द्वारा तकनीकी बीड/वित्तीय बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए विभाग स्वतंत्र होंगे। चूंकि संवेदकों का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत काली सूची दिवार (Debar) तथा निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा करने का होगा, यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(च) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में कार्य आवंटन के पश्चात् अग्रधन के रूप में एक प्रतिशत राशि ली जायेगी। अर्थात् एकरारनामा के समय एक प्रतिशत राशि ली जायेगी।

(छ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा।

(5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक, कम (Below) निविदित दर अमान्य होगी। असाधरण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3376(E) दिनांक-17.08.10 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

21. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

22. निविदा निष्पादन

(i) यदि निविदा की कंडिका संख्या 19 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(ii) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(iii) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर सामान्य होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी :-

24. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।

25. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य गुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान

- प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।
26. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम-से-कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्सम्बंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री-डिप्लोमा अभियन्ता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियन्ता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
27. **अन्य शर्तें**
- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
- (घ) कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदको को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
28. **विशेष शर्तें:-**
- नल जल निश्चय योजनाओं में उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त निम्न विशेष शर्तें भी अनिवार्य हैं:-
- (i) नल जल योजना में संवेदकों द्वारा क्रय किये जाने वाले एच0डी0पी0ई0/एम0डी0पी0ई0/सी0पी0भी0सी0 पाईप की CIPET द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।
- (ii) संवेदकों को भुगतान योजना के पूर्ण मद हेतु किया जायेगा, जो कि तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण के संतोषप्रद प्रतिवेदन के उपरान्त किया जायेगा। संवेदकों को किसी भी हालत में आंशिक मदों एवं सामग्रियों के आपूर्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (iii) एक निविदाकार, संबंधित नगर निकाय द्वारा नल जल संबंधी विभिन्न गुणों/योजनाओं हेतु प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के किन्ही चार गुणों/योजनाओं के लिए ही निविदा दे सकते हैं। चार से अधिक गुणों/योजनाओं के लिए निविदाकारों द्वारा दी गयी निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
29. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
30. कार्य आवंटित होने पर संवेदक को बैट सफाया प्रमाण-पत्र की राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।
31. In the unlikely event of the server for www.eproc.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
32. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
33. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
34. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
35. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
36. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.

240

37. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
38. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.
39. अनियोजित अभिांता के लिए कर्णाकित कार्यों हेतु-
- (a) पथ निर्माण विभाग के प्र0-6/नियम-03-03/2001-1399(s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
- (c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद/नगर पंचायत

ज्ञापांक/ दिनांक

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की सी0डी0 एवं 5 (पाँच) प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो-दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि प्रकाशन निविदा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिए www.eproc.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

- अनु0:-
1. निविदा आमंत्रण सूचना 5 प्रतियों में।
 2. सी0 डी0 एक प्रति में।

240

240

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद/नगर पंचायत

Annexure I

1.1 GENERAL SPECIFICATIONS

Materials and methods of construction for all civil works shall be as per relevant Indian standard specification, part of which are incorporated in the standard specification of P.H.E.D. and P.W.D. Bihar and all will be followed during the execution of the work. The work shall be executed as per the guidelines and provisions of B.I.S. All materials shall conform to Indian standard code of practice National Building Code and CPHEEO manual to maintain quality of work.

1.2 General

All materials like brick, sand, coarse sand, stone chips and cement shall be best of their kind and shall confirm to the relevant latest Indian standard.

All materials shall be of approved quality as per samples and from origins approved by the Engineer in Charge. A set of specimen samples of all approved materials shall be kept in sealed container or otherwise at site, cost of which is to be borne by the contractor.

1.3 Cement concrete

The concrete shall consist of an aggregate of the proportion by volume defined in relevant schedule item or work. Only measured quantity shall be used. The aggregate shall consist of stone ballast of quality approved by Engineer-in-charge and shall consist of graded size 20 mm and downwards as per PWD specification or the size mentioned in the item description

1.4 Laying:

The cement, sand and stone chips shall be mixed properly in mechanical mixer in such a manner as to avoid loss of water. The concrete shall be mixed for minimum period of 2 minutes or until it is of even color and uniform consistency throughout. As soon as the concrete is mixed it should be removed to the work in iron vessels as rapidly as practicable. The concrete laid will be vibrated for compaction by the vibrators. Slum test will be carried at site during execution of work.

1.5 Forms:

Contractor shall furnish on the site of work sufficient number of centering, molds or templates for its expeditious execution. The forms shall be made in such a way and of such materials as will ensure a smooth surface on the finished concrete. Forms and centering shall be left in place until the concrete has set sufficiently to permit the removal without danger to the structure.

1.6 Reinforced Cement Concrete:

All R.C.C. work shall be of the grade M -15, M-20, M-25 as given in specifications. The materials will be measured when dry. The stone chips should be thoroughly washed in clean water and stacked. Vibrator will be used for all R.C.C and P.C.C work. The aggregate shall consist of stone ballast of quality approved by Engineer-in-charge and shall consist of graded size 20 mm and downwards as per PWD specification or the size mentioned in the item description.

[Handwritten signatures]

229

1.7 Cube test:

Cube test for RCC work shall be done in lab and its compressive strength should be within the allowable limit.

1.8 Pipe Laying/ supplying Works:

HDPE, MDPE and PVC pipe laying and supplying is as per latest IS code and its amendment.

1.9 Excavation of Trenches:

No excavation of any trenches must be commenced until the pipes intended to be laid there in with all the necessary appliances for laying and jointing them have been arranged along its side. In the execution of all work of pipe laying no greater length of trenches that can be laid in 48 hours must be opened and should the pipe laying be delayed or stopped from any cause, the excavation of trenches must be stopped until the laying is resumed. In trenches where pipes are to be laid ground shall be excavated to the required depths and gradients and holes shall be taken out where the joints occur, so that the barrels of the pipes shall be on a solid bed throughout. The trenches shall be excavated to depths sufficient to secure a covering over the pipe as per IS specifications.

The trench shall be so dug that the pipe may be laid to the required alignment at required depth. When a pipeline is under a roadway a minimum cover of 1m for CI pipe is recommended for adoption, but it may be modified to suit local conditions. The width of the trench at bottom between faces of sitting shall be such as to provide not less than 200 mm clearance at either side of the pipe except where rock excavation is involved.

1.10 Laying:

Pipes shall be laid in straight lines, free from all sharp bends and should be in proper alignment. Each pipe before it is laid shall be examined and tested with a hammer to prove it, soundness and then shall be brushed through and washed to remove all solid or dirt. Pipes shall be placed in trenches by means of chain pulley blocks taking care to see that soil does not get into the pipe.

1.11 Testing

The line of pipes after laying and jointing shall be tested to a pressure at least double that of working pressure, provided that in no case shall the pipes be tested to a less pressure than that equivalent to a head of 60 meters, of water and the pipes and joints shall be absolutely watertight. The contractor shall provide the water, appliances and labor for testing the pipes at his own expense.

HYDRAULIC TESTING OF LINE

The test of the pipeline in the field shall be carried out after the stretch of suitable length is laid. Testing shall be carried out in the following manner.

(Signature) *AS*

(235)

The pipeline shall be subjected to hydraulic test in full length or in part as may be found necessary. The pipes shall be subjected to a test pressure of 1.5 times the actual working pressure expected in the pipeline as per hydraulic design in the strip under observation.

There should be drop not more than 0.5kg/cm² within a period of two hours after the pressure has been built up by the use of suitable pumps. In case of leak anywhere in the field joints, the same shall be repaired entirely at the cost of the contractor, which shall include cost of excavation repairs etc. The rate of pipe is inclusive of this cost.

The contractor shall provide skilled and unskilled labour free of cost for Departmental check of the work.

SPECIAL NOTE:

- I. No pipe shall be laid when; in the opinion of the Engineer-In-Charge trench conditions are unsuitable.
- II. Pipes shall be laid in reasonably dry trenches and under no circumstances on slushy murum bedding.
- III. The contractor shall use the pipes after checking and testing and he shall be held responsible for replacement of such pipes if already inadvertently fixed or joined.
- IV. Before the pipes are lowered and laid in position the contractor shall see that the invert at the support is correct and pipe is brought to uniform grade and level. This should be checked with the help of dumpy level and should be got approved in advance from the Engineer-in-Charge.
- V. Temporary benchmarks shall be provided by the contractor at a minimum distance of every 100m without any claim for extra cost. The benchmarks shall be either of stone masonry or mass concrete.
- VI. The pipes shall be laid confirming to the profile, line, level, curvature, straightness etc. as per the drawings. No variation, unless previously approved by engineer in charge, will be allowed.
- VII. The contractor shall bear the cost for wastage, breakage in pipes and specials. The length of pipe and specials will be paid as per exact length in laid condition, for both fabrication and laying job.
- VIII. All temporary supports made to the pipeline during laying and jointing shall be removed before pipeline is filled with water for hydraulic testing.
- IX. Flanged caps or plugs, casting of thrust block, the hydraulic test pump with the required piping etc. shall be arranged for testing purpose by the contractor at his own cost.
- X. The hydraulic test shall be made in the presence of Engineer-in-Charge.
- XI. When any section of a main is provided with concrete thrust blocks or anchorages, the pressure test shall not be made within 28 days of casting of the R.C.C. block.

1.12 Submersible Pump set:

Submersible pump set should be as per IS 8034:2002

Sur *Shy*

237

Material of construction

There are number of recognized materials of construction available to meet the needs of submersible pump sets handling clear, cold water. Typical material for few components are indicated below merely for guidance of the manufacturer and user:

1. Shaft sleeve	Bronze grade LTB 2, 3, 4 or 5 of IS 318 of 12 percent chromium steel grade X 04 Cr 12, X 12 Cr 12 and X 20 Cr 13 conforming to IS 6911 or IS 6603
2. Casing wear ring (if provided)	Bronze grade LTB 2, 3, 4 or 5 of IS 318
3. Bush	Bronze grade LTB 2, 3 or 4 of IS 318 or Nitrile/ cut less rubber
4. Discharge casing (if provided)	Cast iron grade FG 200 of IS 210
5. Impeller	Bronze grade LTB 2 of IS 318 or Stainless steel grade X 12 Cr 12 of IS 6911 or IS 6603
6. Pump bowl/diffuser	Cast iron grade FG 200 of IS 210
7. Pump shaft	Stainless steel grade X 04 Cr 12, X 12 Cr 12 or X 20 Cr 13 of IS 6603
8. Suction casing	Cast iron grade FG 200 of IS210

Testing and inspection

Laboratory Tests

Testing procedures as given in IS 11346 shall be followed.

Head Measurement

The total head is made up of:

- Vertical distance between pumping water level to gauge center distance in meters (Z).
- Delivery gauge reading in meters in water column (h), and
- Velocity head in meters

Therefore, total head $H = Z + h + V d^2/2g$.

Power Measurement


Watt meter of adequate capacity shall be used.

GUARANTEE

Guarantee of Workmanship and Material

The pumps shall be guaranteed by the manufacturer against the defects in material and workmanship under normal use and service either for a period of at least 15 months from the date of dispatch or 12 months from the date of commissioning, whichever is earlier.

Guarantee of Performance



The pump sets shall be guaranteed for their performance of the nominal volume rate of flow, nominal head, and overall efficiency.

VALVES

Sluice valve

This shall be C.I. D/F water work quality, heavy duty with non-rising spindle, inside screw and shall be fitted with double faced gun metal wedge made in one piece and having two machined facing rings securely fixed into machined recesses in the wedge. The guides and lugs shall be provided to guide the wedge through its full travel and lugs and guide shall be lined with bronze. The bronze lining provided on guides and lugs shall be secured by counter sunk screws or rivets of non-ferrous metal. The clearance between the lugs and the guides shall not exceed 2.5 mm.

All the valves shall be provided with gearbox at the top and below the hand wheel (similar to I.V.I./I.V.C.) to facilitate easy manual operation.

The material of the components shall be as under

- i) Body, bonnet cover wedges, stuffing box, gloves and hand wheel - grey C.I. grade FG 200 of IS 210.
- ii) Spindle as per IS 6603 stainless steel.
- iii) Edge and body hinges—Leaded tin bronze conforming to grade 2 of IS 318.
- iv) Nuts and Bolts- As per Is 1363.
- v) Wedge nut – High tensile brass conforming to alloy 3 of IS 320.

The valves shall be tested in the manufacturer’s works as under

- 1) Body test - 16 Kg/Cm²
- 2) Seat test – 10 Kg /Cm²

The manufacturers test certificate for the material shall be provided at the time of the testing. Required supports to the valves in C.C. shall be provided.

The dimensional drawing shall be submitted by the contractor prior to manufacture showing all the construction details etc. of valve and gearbox for approval. The valves shall be painted after testing as directed by the Engineer in charge.

Approved makes I.V.C./I.V.I./Kirloskar

Non-return Valve (Reflux valve) –

This shall be C.I. D/F single / multi –door type free acting, quick opening, giving rapid non-slam closure and with low head loss Characteristic when in open position. The valve shall be generally

[Handwritten signatures]